



## प्रयागराज बहराना सी ओ ऑफिस गेट के सामने 50 वर्षीय वृद्ध को ट्रक ने कुचला

(आधुनिक समाचार सेवा) प्रयागराज। थाना कीड़गंज क्षेत्र अंतर्गत बहराना सी ओ ऑफिस के गेट के सामने 50 वर्षीय युद्ध



शव को कठो में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा ट्रक और ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर थाने लाया गया जानकारी के गेट के सामने 50 वर्षीय युद्ध

## पहले लगाया गया ताला छात्रों ने बृहस्पतिवार को तोड़ दिया

(आधुनिक समाचार सेवा) प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में कटरा की ओर से प्रवेश के लिए



शव को कठो में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा ट्रक और ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर थाने लाया गया जानकारी के गेट के सामने 50 वर्षीय युद्ध

दो किमी की दूरी है। इविवि प्रशासन ने सुरक्षा के मध्यनजर कुछ दिनों पहले करार की तरफ वाल गेट पर ताला लगा दिया। दिन के वक्त केवल

छात्रों का कहना है कि इस गेट की कमी बंद नहीं किया गया। हॉस्टल के छात्र इसके विरोध में बृहस्पतिवार दोपहर कटरा के तरफ गेट पर धरने पर बैठे गए और गेट का ताला तोड़ दिया। इविवि प्रशासन को सूचना मिली तो चौक प्रॉक्टर प्रो. हर्ष कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे नहीं माने। छात्र देर रात तक धरने पर बैठे रहे और इविवि प्रशासन को गेट पर ताला नहीं लगाने दिया। बृहस्पतिवार को भी कुछ लोगों ने ताला तोड़ दिया था। वहां दोबारा ताल लगाया गया, जिसे बृहस्पतिवारियों ने बृहस्पतिवार को फिर से तोड़ दिया। मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गेट बंद करने का निर्णय स्टाफ एवं छात्रों की सुझाव के लिए हुआ है। इविवि प्रशासन को ताला नहीं लगाने दिया। विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए दो सौ मीटपैल चलकर कटरा पहुंच जाते थे, लेकिन गेट बंद होने के कारण अब उन्हें चंद्रघंटेखाल आजाद पार्क के सामने वाले गेट से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में काफी दिक्कत हो रही है।

## मनीष गुप्ता नाम के कारोबारी के यहाँ पड़ा छापा



(आधुनिक समाचार सेवा) प्रयागराज। भारी मात्रा में नकली डीएपी खाद बरामद हजारों बारी नकली खाद बरामद नेपाल तक जाती थी इस कारखाने से बड़ी खाद कर्फ का नाम गोविंद इंडस्ट्रीज प्रशासन की नाक के नीचे कई सालों से फल

## संजय नगर अल्लापुर में डेंगू बुखार से दूसरी मौत

(आधुनिक समाचार सेवा)

प्रयागराज। संजय नगर अल्लापुर का खाद बरामद का डेंगू मौत के रूप में घूमा बुखार से दूसरी मौत के रूप में घूमा बुखार से दूसरी मौत के रूप में हुई। अप्रैल के बाद जारी होता है रिनीवल प्रमाणपत्र राजापुर छाती मुश्किल से 100 मीटर दूरत।

वाली तेज तरंग महिला नेता थी तारा देवी के नेतृत्व में झोपड़ पट्टी में रहने वाले गरीबों में स्कैप, गांजा व अन्य नशा का व्यापार करने वालों के खिलाफ सफां अंदोलन चलाया गया था, नशे की पुड़िया बेचने वाली तेज तरंग महिला नेता थी तारा देवी के नेतृत्व में घूमा बुखार से दूसरी मौत के रूप में हुई। अप्रैल के बाद जारी होता है रिनीवल प्रमाणपत्र राजापुर छाती मुश्किल से 100 मीटर दूरत।

पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था और अरोपी की खोजीबनी की जा रही थी। रुपये न मिलने पर उसने केशरी देवी को टिकट कटवाने की भी शक्ति की दी थी। पैसा न देने और पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की थमकी भी दी थी।

अल्लापुर के नागरिकों में शोक का लहर ब्याप हो गया है और अपराह्न 02 बजे संजय नगर अल्लापुर में शोक सभा हुई। शोक सभा में पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह, पूर्व वरिष्ठ पार्षद शिवसेवक सिंह, समाजसेवी अनुराधा ने कहा कि तारा देवी के बच्चों को सुधारने तथा नशा का व्यापार बंद करने हेतु जेल भेजने का भी काम किया गया था, उसी

समय से तारा देवी को संजय नगर ज्ञोपड़ पट्टी में घूमा बुखार से रोकने का काम किया था, उसी समय तारा देवी को जान से मारने के लिए उनपर बम से हमला हुआ था जिसमें बाल बाल बच गई थीं, नशा के चेपेट में आ चुके संजय नगर ज्ञोपड़ पट्टी के बच्चों को सुधारने तथा नशा का व्यापार बंद करने हेतु जेल भेजने का भी काम किया गया था, उसी

नेता अविनाश मिश्रा, अनंत कुमार शौधरी, रिकू यादव शिष्यक सिंह, अश्वनी कुमार एडवोकेट, श्रीमती मना, कलाती, पुष्करी दिनेश कुमार, संजय, श्रीमती बीना, मनीषा, अमरावती, मोती लाल, आदि संकड़ी लोग उपस्थित रहे। शिवसेवक सिंह, पूर्व वरिष्ठ पार्षद शिवसेवक सिंह एवं संयोजक नागरिक संघर्ष मौर्चा पर्याप्त हुए।

अहमद ने प्रयागराज महापौर का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कहा कि वह बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी और इसके लिए शीघ्र ही मायावती से मिलेंगी। यदि मायावती राजी

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

संबोधित कर रही थी। उन्होंने प्रयागराज के पुलिस महानिकाशक के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन लड़ेंगी महापौर का चुनाव

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

संबोधित कर रही थी। उन्होंने प्रयागराज के पुलिस महानिकाशक के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन लड़ेंगी। बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

संबोधित कर रही थी। उन्होंने प्रयागराज के पुलिस महानिकाशक के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन लड़ेंगी। बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन लड़ेंगी। बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन लड़ेंगी। बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन लड़ेंगी। बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन लड़ेंगी। बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन लड़ेंगी। बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन लड़ेंगी। बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव मैदान में उतरेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में वह प्रेसवार्ता को

माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन लड़ेंगी। बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक

होती हैं तो वह एआईएमआईएम के गठबंधन के साथ चुनव







# सम्पादकीय

**सुप्रीम कोर्ट के फैसले  
ने खींच दी हैं भविष्य  
की राजनीतिक रेखाएं**

सूरीम कोर्ट के इस फैसले ने भविष्य की राजनीतिक रेखाओं भी खिंच दी हैं। अनारक्षित वर्ग को आर्थिक आरक्षण की वैधता ने आने वाले समय में एसी, एसटी और ओबीसी वर्ग में भी इसे लागू करने की मांग की नींव रख दी है देश की सर्वोच्च अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर (ईडल्लूएस) वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने संबंधी 103वें संविधान संशोधन को बहुमत से सही ठहराए जाने के बाद अनारक्षित वर्ग के गरीबों को आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अधिकांश राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन इस फैसले के साथ कई अहम सवाल भी उठ रहे हैं। पहला तो यह कि क्या आर्थिक आरक्षण देश में समानता के सिद्धांत का विरोधी है, दूसरा, आर्थिक आधार पर आरक्षण अनारक्षित वर्ग को ही क्यों, तीसरे क्या भविष्य में आरक्षण का मुख्य आधार आर्थिक पिछापन ही बनेगा, चौथा क्या इससे सूरीम कोर्ट के 1992 के फैसले कि देश में आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता' का यह उल्लंघन है और पांचवा यह कि इस देश में आरक्षण की बैसाखी अखिर कब तक कायम रहेगी ये तमाम सवाल संविधान की पीठ में शामिल जाऊं ने भी उठाए हैं, जिनके उत्तर हमें खोजने होंगे और कल को देश का सामाजिक ताना बाना और राजनीतिक दिशा भी उसी से तय होगी। इस दूरगमी फैसले में पांचों जाऊं में एक बात पर सहमति दिखी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के बनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं है। पौंछ में शामिल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपने निर्णय में कहा- 103वें संविधान संशोधन को संविधान के मूल ढांचे को भंग करने वाला नहीं कहा जा सकता। ईडल्लूएस आरक्षण समानता संहिता या संविधान के मूलभूत तत्वों का उल्लंघन नहीं और 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण सीमा का उल्लंघन बृनियादी ढांचे का उल्लंघन भी नहीं करता है, वर्षोंके यहां आरक्षण की उच्चतम सीमा केवल 16 (4) और (5) के लिए है। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की राय में 103वें संविधान संशोधन को भेदभाव के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। ईडल्लूएस कोटे को संसद द्वारा की गई एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे अनुच्छेद 14 या संविधान के मूल ढांचे का कोई उल्लंघन नहीं होता। ईडल्लूएस कोटा आरक्षित वर्गों को इसके दायरे से बाहर रखकर उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। आरक्षण जाति व्यवस्था द्वारा पैदा की गई असमानताओं को दूर करने के लिए लाया गया था। आजादी के 75 वर्षों के बाद हमें परिवर्तनकारी नौकरियों संवैधानिकता के दर्शन को जीने के लिए नीति पर फिर से चिचार करने की जरूरत है। 'जस्टिस जेबी पारदीवाला ने भी अपने फैसले में दोनों के विचारों से सहमति जताई और संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। आरक्षण व्यवस्था पर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी में जस्टिस पारदीवाला ने कहा-आरक्षण अंत नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने का साधन है, इसे निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। आरक्षण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, जिससे निहित स्वार्थ बन जाए।' गौरतलब है कि केंद्र की मेंदी सरकार ने दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजुरी दी दी। इसके तहत अनारक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का प्रवाधन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला महत्वपूर्ण 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इस कानून को मंजुरी दी, लेकिन इस कानून को सूरीम कोर्ट में यह कहकर चुनौती दी गई थी कि इससे संविधान के समानता के अधिकार और पचास प्रतिशत तक आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है। अतः इस कानून को अवैध माना जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को वैध माना। कानून में सालाना 8 लाख से कम आय वाले परिवारों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्षन्स (ईडल्लूएस) मानते हुए सरकारी और निजी शैक्षिक तथा सरकारी नौकरी में भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन संविधान पीठ के ही जस्टिस एस. रवींद्र भट ने अपने निर्णय में ईडल्लूएस आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन पर असहमति जताते हुए उस रद्द कर दिया। जस्टिस भट ने अन्य तीन न्यायाधीशों के फैसले पर असहमति जताते हुए वग़ा 103 वां संशोधन संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित भेदभाव की वकालत करता है।

## अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

दुनिया के विकसित देश बेशक मंदी के कागर पर हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अब भी मज़बूत बनी हुई है। मंदी के प्रमुख कारकों, चाहे वह जीड़ीपी हो, बेरोजगारी दर हो या फिर महांगई दर, सभी मामलों में भारत दुनिया के विकसित देशों से बोहतर स्थिति में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नो ए (आईएमएफ) ने हाल ही में कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की की वृद्धि दर सुस्त पड़ने लगती है, बेरोजगारी दर में इंजाफा होता है और महांगई दर ऊंची रहती है, तो उसके मंदी की गिरफ्त में आने की आशंका रहती है। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीड़ीपी) में अगर दो तिमाहियों में लगातार गिरावट दर्ज होती है, तो भी वह देश मंदी की गिरफ्त में आ जाता है। भारत में जीड़ीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 13.5



ओर बढ़ रही है और वित्त वर्ष 2021 में वैश्विक वृद्धि दर छह प्रतिशत रहने के बाद चालू वित्त वर्ष में वैश्विक वृद्धि दर घटकर 3.2 प्रतिशत रह सकती है और वित्त वर्ष 2023 में इसमें 2.7 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। आईएमआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमान को भी घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। फिर भी, यह चीन के वृद्धि दर अनुमान से बेहतर है। बावजूद इसके, क्यास लगाए जा रहे हैं कि भारत भी मंदी की गिरफ्त में आने वाला है। जब किसी देश प्रतिशत रही और पिछले वित्त वर्ष के जनवरी से मार्च, 2022 के दौरान 4.1 प्रतिशत। वहीं, वित्त वर्ष 2021-22 की दिसंबर तिमाही के दौरान यह 5.4 प्रतिशत रही, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत रही। बेरोजगारी के मर्च पर भी भारत का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। सेटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकानॉमी (सीएमआई) के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान सभी ऊर्ध्व र्ता में शहरी बेरोजगारी की दर 7.6 प्रतिशत रही, जो अप्रैल में 9.22 प्रतिशत, मई में 8.21 प्रतिशत और जून में 7.3 प्रतिशत रही।

खतरों से जूझती सड़क सुरक्षा, राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के बिना कुछ ठोस हासिल नहीं होगा

इसे कड़वा सत्य कहें या बार-बा  
दोहराया जाने वाला तथ्य कि भारत  
में अस्वाभाविक मृत्यु के मामलों में  
सबसे अधिक मौतें सड़क  
दुर्घटनाओं में होती हैं। युद्ध, हत्या  
और दंगों जैसे तमाम मानव जनिका  
कारकों के अतिरिक्त प्राकृतिक  
आपदाओं के कारण देश में कुल  
जितनी मौत होती है, उससे अधिक  
लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं।  
यह तब है जब भारत में वैश्विक  
वाहनों की कुल संख्या के मात्र एवं  
प्रतिशत वाहन ही है, जबकि दुनिया के  
भर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली  
वाली 11 प्रतिशत मौतें भारत में  
होती हैं। विश्व भर में होने वाली  
सड़क दुर्घटनाओं में हम तीसरा  
पायदान पर हैं तो जानलेहा सड़क  
हादसों में अबल आने का कलंब



कारण अधिकांश लाइसेंस बिना वास्तविक परीक्षण के ही जारी हो जाते हैं। हमारे हाईवे सबसे असुरक्षित सड़कों में से हैं। इनमें से अधिकांश एलिवेटर नहीं हैं। साइड फेंसिंग और सेंट्रल डिवाइडर टूटे हैं, जिससे बेसहारा जानवर, लापरवाह राहगीर और बाहन एकाएक सामने आ जाते हैं। हाईवे पर दो यू-टर्न के बीच दूरी को लेकर भी एक नियमाताली है, लेकिन अधिक दूरी तय करने से बचने की जगत में हम अपनी सुविधा के लिए डिवाइडर तोड़कर यू-टर्न बना लेते हैं। विपरीत दिशा से आने वाले बाहन भी गाह-बगाहे से कुछ अधिक ही दिखाइ दें जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि ओवर स्पीडिंग और लापरवाह ड्राइविंग ही सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह हैं। ट्रैफिक पुलिस गति सीमा उल्लंघन, शराब पीकर गाड़ी चलाने या खतरनाक ड्राइविंग के लिए कितनी बार चालान करती है विशेष रूप से छोटे शहरों की स्थिति खासी लचर है। अत्यंत

भी हमारे माथे हैं। सरकार ने सङ्क सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मोटर वाहन अधिनियम में विधायी परिवर्तन किए गए हैं। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए पहले से अधिक सज्जा और हज़रने का प्रविधान किया गया है। वहीं, राहत एवं बचाव के काम में तत्परता दिखाने वाले लोगों को कानूनी संरक्षण प्रदान दिया गया है। ये स्वागतयोग्य कदम हैं। अफसोस कि जमीनी स्तर पर ठोस सुधार किए जाने अभी शेष हैं। आरंभक बिंदु ड्राइवरों की कुशलता से जुड़ा है। औपचारिक रूप से प्रशिक्षित ड्राइवरों की संख्या बहुत कम है। देश में अधिकांश लोगों के ड्राइविंग सीखने की प्रक्रिया अत्यंत अनौपचारिक एवं असुरक्षित है। आवश्यकता के अनुपात में ड्राइविंग स्कूलों की संख्या बेहद कम है। इन गिने-चुने स्कूलों में भी प्रशिक्षित कर्मियों और संसाधनों का सर्वथा अभाव दिखता है। साथारणतः कारण अधिकांश लाइसेंस बिना वास्तविक परीक्षण के ही जारी हो जाते हैं। हमारे हाईकोर्ट सबसे असुरक्षित सङ्को में से हैं। इनमें से अधिकांश एलिंगेटेड नहीं हैं। साइड फैसिंग और सेंट्रल डिवाइडर टटू हैं, जिससे बेसहारा जानवर, लापरवाह राहगीर और वाहन एकाएक सामने आ जाते हैं। हाईकोर्ट पर दो यू-टर्न के बीच दूरी को लेकर भी एक नियमाली है, लेकिन अधिक दूरी तय करने से बचने की जु़गत में हम अपनी सुविधा के लिए डिवाइडर तोड़कर यू-टर्न बना लते हैं। विपरीत दिशा से आने वाले वाहन भी गाहे-बगाहे से कुछ अधिक ही दिखाई दे जाते हैं। अंकेडे बातों हैं कि ओवर स्पीडिंग और लापरवाह ड्राइविंग ही सङ्क क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह हैं। ट्रैफिक पुलिस गति सीमा उल्लंघन, शाराब पीकरना गाड़ी चलाने या खतरनाक ड्राइविंग के लिए कितनी बार चालान करती है विशेष रूप से छोटे शहरों की स्थिति खासी लचर है। अत्यंत

चर्चित सायरस मिस्री दुर्घटना ने पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता को उजागर अवश्य किया, लेकिन हसके अनुपालन की गंभीरता किसी से छिपी नहीं है। दोपहिया वाहनों को एक्सप्रेस-वे पर अनुमति नहीं है। भारी वाहनों को भी बाईं लेन में चलना होता है। ओवरट्रेकिंग हमेशा दाईं ओर से होनी चाहिए। लेन ड्राइविंग ही समझदारी वाली ड्राइविंग होती है। ध्यान बंटाने वाले होर्डिंग्स एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबंधित होते हैं। ठोस क्रियान्वयन के अभाव में ऐसी सभी बातें केवल कागजी प्रतीत होती हैं। हमारी सड़कें अतिक्रमण की शिकार हैं। फुटपाथ विलुप्त हो गए हैं। रखरखाव पर निवेश बहुत कम है। निर्माण और मरम्मत का काम



सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर होता है। सड़कों की डिजाइन में खामियां और ल्लाइंड स्पाट्स अर्से से कायम हैं। क्षमता से अधिक भार के साथ ढुलाई करने वाले मालवाहक वाहनों से बाहर निकलते सरिये सदैव हादसों को आमंत्रण देते हैं। बड़ी संख्या में भारतीय सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिहाज से पर्याप्त चौड़ी नहीं हैं। ऊपर से यातायात के नाना प्रकार के साधनों का बोझ स्थिति को और बदतर बना देता है। वाहनों की इतनी विविधता आवाजाही को स्वाभाविक रूप से शिथिल करने के साथ ही संभावित संघर्षों की आशंका बढ़ाती है। हम ट्रैफिक जाम से ज़्ज़ु़ज़ते हैं, जो रोड रेज के मामलों का एक अहम कारक होता है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में प्रशासन की मंशा गंगा स्नान के अवसर पर ट्रैकटर-ट्राली से आवाजाही पर प्रतिवध लगाने की थी, किंतु परंपरा के नाम पर दबाव में आकर अंततः उसे इसकी अनुमति देनी पड़ी। अचरज

जाति को तोड़ता जन कल्याण का मंत्र, गरीबों से जुड़ी योजनाओं से बढ़ता भाजपा का जनाधार

भारत का चुनावी इतिहास इसका साक्षी है कि उपचुनाव तभी चर्चा में आते हैं, जब सत्तारूढ़ दल की हार होती है। इस दृष्टि से हाल में संपन्न चुनाव भाजपा के लिए टेढ़ी खीर साबित होंगे। इस आकलन का आधार 2015 के विधानसभा चुनाव है, जिनमें महागठबंधन से भाजपा

चुनाव भाजपा के लिए टेढ़ी खीर साबित होंगे। इस आकलन का आधार 2015 के विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें महागठबंधन से भाजपा रुपये की मदद और गरीब कल्याण योजना से 8.7 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया है। गरीब कल्याण के इन प्रयासों से आठ रप्ती में बिहार



को हार मिली थी, पर यह आकलन करते समय पिछले सात वर्षों में बिहार के राजनीतिक धरातल में आए परिवर्तनों को नहीं समझा जा रहा। यह समझना होगा कि 2015 के चुनाव के समय केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ एक वर्ष पुरानी थी। वर्हीं अब तक मोदी सरकार ने बिहार में 32 लाख आवास, 1.2 करोड़ शौचालय, 85 लाख उज्ज्वला गैस और 75 लाख आयुधान कार्ड दिए हैं। किसान सम्मान निधि द्वारा 85 लाख किसानों को 17 हजार करोड़ वर्गी 'आकांक्षी' जनता अब 'लाभार्थियों' में परिवर्तित होकर मजबूती के साथ नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ी है। ध्यान रहे कि केंद्रीय योजनाओं के अधिकांश लाभार्थी पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। महागठबंधन के पक्ष में एक तर्क उसके सामाजिक आधार को लेकर दिया जाता है, जिसमें 13 प्रतिशत सर्वणों को छोड़ सभी जातियों और मुस्लिमों को महागठबंधन के खाते में डालकर 15-85 की लडाई का नारा दिया

जाता है। इस आकलन के अनुसार लगभग 30 प्रतिशत मुस्लिम और यादव के ऊपर नीतीश कुमार के कारण महागठबंधन में लगभग 53

जनाधार जुमले के सिवा और कुछ नहीं। उपचुनावों में भाजपा को मोकामा और गोपालगंज में क्रमशः 42.2 और 41.6 प्रतिशत वोट मिले,

से 2022 तक (बीच में 2015-17 को छोड़कर) यादव और मुस्लिम हाशिये पर रहे। राजद और जदयू के मिलन से उनके सामाजिक आधार का मिलन सामाजिक अंतर्विरोध के कारण संभव नहीं है। बिहार में एक लंबे समय तक भाजपा को सर्वर्णों की पार्टी बताकर अन्य वर्गों में भ्राति पैदा की गई, लेकिन 2014 के आम चुनाव के बाद भाजपा ने इस भ्राति को दूर करने के प्रयास किए हैं। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पिछड़े वर्ग के हैं। पिछली सरकार में दोनों उपमुख्यमंत्री पिछड़े थे और 2015 की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी पिछड़े थे। भाजपा टिकट वितरण में भी लगातार पिछड़ों की भागीदारी बढ़ा रही है। पिछड़े वर्ग से आने वाले भाजपा के सर्वोच्च नेता नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज बिहार भाजपा का कलेवर पूरी तरह बदला दिखता है। यह विपक्ष की पिछड़ों के ध्युकरण की रणनीति को कुंद करने में सक्षम है। नीतीश कुमार की पीएम पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार की दावेदारी के विफल प्रयास के बाद 2024 में गोटरों के पास भाजपा के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं बचता। उपचुनावों के परिणाम और पिछले सात वर्षों में बिहार की राजनीति में आए आमूल्यालूपरिवर्तन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनावों में महागठबंधन द्वारा भाजपा को कमज़ोर करके आंकना बहुत बड़ी भूल होगी।



